<table>
<thead>
<tr>
<th>नं.</th>
<th>कार्यवाही</th>
<th>समय सीमा (कार्यदिन)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1.</td>
<td>सभी आवासीय अधियोजित कार्यालयों द्वारा समाप्तित किये जा रहे निर्माण कार्यों के भूमित्त सेवु हेतु आवश्यक राशि जारी करने हेतु प्रत्येक की जा रहे मांग राशि प्रकरणों को वर्तमान में वित्तीय सलाहकार द्वारा वित्तीय मानदंडों के अनुसार परीक्षण-वर्तमान समय स्थिरता हेतु सीधे अभावज्ञातकर्त्ता के समक्ष प्रस्तुत किये जाने की वर्तमान प्रक्रिया को संशोधित कर एवं दूसरी निर्माणाधीन पुनःनिर्माण किया जाता है।</td>
<td>--</td>
</tr>
<tr>
<td>2.</td>
<td>वित्तीय सलाहकार द्वारा मांग राशि प्रकरणों की विस्तृत जांच के पश्चात्, प्रकरण उप आवासीय आयुक्त (रु. 00,00,00) को अन्वेषित किया जाएगा।</td>
<td>02 दिवस</td>
</tr>
<tr>
<td>3.</td>
<td>उप आवासीय आयुक्त (रु. 00,00,00) द्वारा मांग-पत्र में शामिल सभी निर्माण कार्यों की गुणवत्ता के बारे में अपनी अनुशासन अंकित कर, पत्रात्त्वी समयभंग अतिरिक्त मुख्य अभियंता को अन्वेषित की जाएगी।</td>
<td>02 दिवस</td>
</tr>
<tr>
<td>4.</td>
<td>मांग-पत्र में समाप्तित सभी निर्माण कार्यों हेतु पूर्व में हस्तान्तरित राशि के सम्बन्ध में उपयोगी संदर्भ देखकर, मांग-पत्र में दर्शाया निर्माण कार्य की प्राप्ति के मांग राशि के अंदर यथा तृतीय वर्ग निरीक्षण रिपोर्ट के अनुसार सम्भावित कार्य की गुणवत्ता की प्रहरित का भाग होता है, समयभंग अतिरिक्त मुख्य अभियंता के अलग-अलग पुनार्मोटक मांग-पत्र में अपने यथार्थ पत्रात्त्व संदर्भ देखकर, पत्रात्त्वी समयभंग मुख्य अभियंता को प्रस्तुत की जाएगी।</td>
<td>02 दिवस</td>
</tr>
<tr>
<td>5.</td>
<td>उप आवासीय आयुक्त (रु. 00,00,00) एवं अतिरिक्त मुख्य अभियंता की दिनांकन पर अपनी दिनांकन राहस्यगत प्रस्तुत करते हुए, समयभंग मुख्य अभियंता के अनुसार पत्रात्त्वी पुनः वित्तीय सलाहकार को अन्वेषित की जाएगी।</td>
<td>01 दिवस</td>
</tr>
<tr>
<td>6.</td>
<td>वित्तीय सलाहकार द्वारा मुख्य अभियंता की अनुशासन एवं बजट प्रवर्तनों के अनुसार, समयभंग कार्य को जारी करने वाली राशि की गुणवत्ता स्थिरता हेतु अभावज्ञातकर्त्ता के समक्ष प्रस्तुत किये जाएगे।</td>
<td>01 दिवस</td>
</tr>
</tbody>
</table>

वित्त प्रक्रिया में उपरोक्त प्रक्रियाओं के नियमानुसार हेतु पुनः पुष्टि संस्थान का संचारित किया जाये, जिसके प्राप्ति दिन (1 दिनांक) एवं प्रस्तुतिकरण (6 दिनांक) अंकित किये जायें। सभी समयभंग अधिकारियों द्वारा उपरोक्त निर्देशों का संकल्प पालना सुनिश्चित की जायें।

(ए विवरणाभिव्यक्ति)

अन्ततः सुनिश्चित कीजिए कि आवश्यक कार्यवाही हेतु --
1. निर्माण सम्बन्धी आवश्यकता/आवश्यक कार्यवाही हेतु,
2. राज्य सचिव,
3. मुख्य अभियंता (रु. 00,00,00),
4. अतिरिक्त मुख्य अभियंता,
5. वित्तीय सलाहकार,
6. उप आवासीय आयुक्त (रु. 00,00,00),
7. सरकारी अधिरक्षक,
8. लेखाधिकारी/साहित्य लेखाधिकारी,

स्नेहस्वरूप (समर)